रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937
No. 692] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/ PHALGUNA 28, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

का.आ.1154(अ).–केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के का.आ.2507(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2012 द्वारा गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का तीन वर्ष के अवधि के लिए गठन किया गया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि का 15 अक्तूबर, 2015 को अवसान हो गया है।

और केंद्रीय सरकार का यह मत है कि उक्त प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2507(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लाक नं. 14/8 गांधीनगर	अध्यक्ष
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) अरण्या भवन, सेक्टर-10ए, गांधी नगर	सदस्य
3.	उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात समुद्रीय बोर्ड, सेक्टर-10ए, वायुसेना स्टेशन के सामने, गांधी नगर	सदस्य
4.	सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, सेक्टर 10ए, वायुसेना	सदस्य

	स्टेशन के सामने, गांधी नगर	
5.	उद्योग आयुक्त, उद्योग भवन, गांधी नगर	सदस्य
6.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गांधीनगर	सदस्य
7.	मुख्य नगर योजनाकार, गुजरात राज्य, पुराना सचिवालय, ब्लाक नं. 10/3, गांधीनगर	सदस्य
8.	सदस्य सचिव, गुजरात पारिस्थितिकी आयोग, गांधीनगर	सदस्य
9.	मत्स्य पालन आयुक्त, गुजरात राज्य, पुराना सचिवालय, ब्लाक नं. 10/3, गांधीनगर	सदस्य
10.	श्री टी.पी. सिंह, निदेशक, भास्कराचार्य इंस्टीटयूट आंफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफोमेटिक्स, गांधीनगर	विशेषज्ञ सदस्य
11.	श्री राजेश प्रवीणचंद्रा दोषी, समुद्री इंजीनियर, वदोदरा	विशेषज्ञ सदस्य
12.	श्री एच.बी. चौहान, ज्येष्ठ वैज्ञानिक एसएफ, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद या उसका ज्येष्ठ प्रतिनिधि	विशेषज्ञ सदस्य
13.	श्री एच.एस. सिंह, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा, भूतपूर्व पीसीसीएफ, गांधीनगर	विशेषज्ञ सदस्य
14.	श्री राजेश आई.शाह, प्रबंध न्यासी, विकास, विकास केंन्द्र, इसावश्यम, लाजपत नगर, एइशिता टावर रोड, नवरंगपुरा, नवजीवन, अहमदाबाद	सदस्य गैर सरकारी संगठन
15.	निदेशक (पर्यावरण) एंव अपर सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, गांधीनगर	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण को तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा गुजरात राज्य के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) प्राधिकरण गुजरात राज्य सरकार से तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II धारा-3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में तटीय विनिमय जोन की दृष्टि से विनिर्दिष्ट सिफारिशों को करना ;

(ii) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के मामलों की जांच और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, उपबंधों के उल्लंघन को अंतवर्लित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करेगा

परंतु उप पैराओं के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन मामलों को स्वतः स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी;

(iii) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

(iv) उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ;

3. प्राधीकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरण मुद्दों, जो उस यथास्थिति, गुजरात राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, पर कार्रवाई करेगा ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितकीय रुप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा;

5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन या तटीय जनसंख्या संरक्षण आदि के कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं का समन्वय करेगा।

6. प्राधिकरण, क्षरण या अपचय के लिए अधिक सहजभेद्य तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा तथा उसके कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण का प्रबंध करेगा।

7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण हिस्सों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय प्रबंधन जोन योजनाएं तैयार करेगा।

8. प्राधिकरण पूर्वोक्त पैरा 4, पैरा 6 और पैरा 7 के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनमें उपांतरणों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को जांच और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

9. प्राधिकरण, अनुमोदित गुजरात राज्य तटीय प्रबंध जोन योजना और भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग- II धारा-3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित सभी विशिष्ट शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

10. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।

11. प्राधिकरण की बैठकों की गणपूर्ति कुल सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से होगी ।

12. प्राधिकरण, राज्य सरकार, वित्तरोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकारियों आदि से प्राप्त निधियां या फीसों को जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक में अपना खाता रखेगा।

13. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आदेश और उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट इसके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हों।

14. प्राधिकरण, सभी आवश्यक उपाय और पहल करेगा, जिसमें कार्यक्रम का निष्पादन, अनुसंधान, सूचना प्रसार, प्रशिक्षण, दिन-प्रतिदिन के कृत्यों के प्रति जागरुकता और समर्थन आदि सम्मिलित है और ऐसे उपयुक्त प्रतिक्रियाओं और साधनों को अंगीकृत करेगा जिसमें उसके लिए संसाधन जुटाना, वित्तपोषण आदि भी सम्मिलित हैं ।

15. प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार की भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 धारा-3, उप -धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन का मानचित्र तैयार करेगा और उसे राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

16. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित रुप से पुवर्विलोकन करेगा।

17. प्राधिकरण, सभी संबद्ध योजना प्राधिकारियों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलेक्टरों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 धारा-3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के सभी उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और उल्लंघनों या अननुपालन के मामले में समुचित कार्रवाई करने का निदेश देगा।

18. वेतन और यात्रा भत्ता, महगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि जैसे भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार होंगे।

19. प्राधिकरण, जब कभी आवश्यकता हो, अन्य विशेषज्ञ को बैठक के दौरान सदस्य के रुप में आमंत्रित करेगा।

20. प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट रूप से न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

21. प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 19(अ), तारीख 6 जून, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार तटीय विनियमन जोन निकासी के लिए उसके समक्ष प्राप्त किए गए, उसको निर्दिष्ट किए गए या उसके समक्ष रखे गए सभी विषयों प्रस्तावों तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी सभी स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शी सिद्धांतों पर कार्रवाई करेगा ।

22. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की घारा 5 के साथ पठित भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II धारा-3, उप धारा (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के अधीन निदेश जारी करने की शक्तियां अध्यक्ष और प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाती हैं और अध्यक्ष द्वारा निदेश जारी करने की दशा में, प्राधिकरण की अगली बैठक में, ऐसे निदेशों को, निदेश जारी करने के कारणों और उनकी प्रा:स्थिति को विनिर्दिष्ट करने वाली रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा ।

23. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में प्रादर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत, किए गए विनिश्चय अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश सम्मलित हैं तथा संबंधित राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा।

24. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केंन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

25. प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर में स्थित होगा ।

[फा. सं.जे-17011/30/99-आईए- III]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 18th March, 2016

S.O. 1154(E).— Whereas, by an Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 2507(E), dated 16th October, 2012, the Central Government constituted the Gujarat Coastal Zone Management Authority for a period of three years and the term of the said Authority has expired on 15th October, 2015;

And, whereas, the Central Government is of the view that the such Authority shall be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 2507(E), dated the 16th October 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Gujarat Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

1.	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Forests and Environment Department, Government of Gujarat, Sachivalaya, Block No-14/8 Gandhinagar	Chairman
2.	The Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), Aranya Bhavan, Sector-10 A, Gandhinagar.	Member
3.	The Vice Chairman and Chief Executive Officer, Gujarat Maritime Board, Sector-10 A, Opp: Air Force Station, Gandhinagar.	Member

4.	The Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board, Paryavaran Bhavan, Sector-10 A, Opp: Air Force Station, Gandhinagar.	Member
5.	The Industries Commissioner, Udhyog Bhavan, Gandhinagar.	Member
6.	Chief Executive Officer, Gujarat State Disaster Management Authority, Gandhinagar.	Member
7.	The Chief Town Planner, Gujarat State, Old Sachivalaya, Block No. 14/2, Gandhinagar.	Member
8.	Member Secretary, Gujarat Ecology Commission, Gandhinagar	Member
9.	Commissioner of Fisheries, Gujarat State, Old Sachivalaya, Block No.-10/3, Gandhinagar	Member
10.	Shri T.P. Singh, Director, BISAG, Gandhinagar	Expert Member
11.	Shri Rajesh Pravinchandra Doshi, Marine Engineer, Vadodara.	Expert Member
12.	Shri H.B. Chauhan, Senior Scientist SF, Space Application Centre, Ahmedabad or his senior representative.	Expert Member
13.	Shri H.S. Singh, Retired IFS, Ex. PCCF, Gandhinagar.	Expert Member
14.	Shri Rajesh .I. Shah, Managing Trustee, VIKAS Centre for Development, Ishavasyam, Opp. Lajpatnagar, Eeshita Tower Road, Navarangpura, Navjeevan, Ahmedabad-380014	Member NGO
15.	Director (Environment) and Additional Secretary, Forests and Environment Department, Gandhinagar.	Member Secretary

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the State of Gujarat, namely:—

(i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the State Government of Gujarat and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view as per the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

(ii) (a) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the Authority may take up the cases under clauses (a) and (b) of this sub-paragraphs, *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organisation;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verifry the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii).

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government of Gujarat, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.

5. The Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection, etc.

6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same.

7. The Authority shall identify critical stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare Integrated Coastal Zone Management Plans for the same.

8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, 6 and 7 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and approval.

9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Gujarat and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

11. The quorum of the meeting of the Authority shall be one third of the total number of the members.

12. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to deposit the funds or fees received from the State Government, funding agencies or project authorities, etc.

13. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.

14. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy etc. and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, etc., for the same.

15. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

16. The Authority shall regularly review the functioning of District Coastal Zone Monitoring Committees.

17. The Authority shall direct all concerned planning authorities, field agencies, District Collector to ensure the compliance of provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and take suitable action in case of violations or non- compliance

18. The pay and allowances such as Traveling Allowance, Dearness Allowance, Seating Fees, Field visit fees, etc., shall be as per the norms decided by the Central Government.

19. The Authority, whenever required shall invite other experts as members during its meetings.

20. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

21. The Authority shall process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for Coastal Regulation Zone Clearance as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and clarifications and guidelines issued by Ministry of Environment and Forests.

22. The powers of issuing directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 19(E), dated the 06th January, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority, and in case the directions are issued by the Chairman, such directions shall be placed before the Authority in its next meeting along with a report specifying the reasons for issuing of the directions and status thereof.

23. To maintain transparency in working of the Coastal Zone Management Authority, it shall be the responsibility of the Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters,

violations, action taken on violations and court matters including the Orders of the Court and National Green Tribunal, and also the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

24. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

25. The Authority shall have its headquarters at Gandhinagar.

[F. No. J-17011/30/99-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy .

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.